**व्याख्यान XIII**

संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की शक्तियाँ और पद

नमस्कार!

भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से नालसर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करने के बाद, आइए अब हम **संघीय कार्यपालिका** और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के संबंधों के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से परिचित होने के कारण संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था क्योंकि हम पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था। अब संघ के तीन अंग हैं अर्थात कार्यपालिका, संसद और संघीय न्यायपालिका। भारतीय संविधान का भाग-V संघ से संबंधित है और इसके अध्याय-I में कार्यपालिका का प्रावधान है। अध्याय- II संसद से संबंधित है, अध्याय- III राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का प्रावधान करता है जो कि अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ हैं और फिर अध्याय- IV संघीय न्यायपालिका से संबंधित है।

**संघ की कार्यपालिका में कौन होते हैं?**

संघ कार्यपालिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

* भारत के राष्ट्रपति
* भारत के उपराष्ट्रपति
* प्रधानमंत्री
* मंत्रिपरिषद
* भारत के महान्यायवादी

चूंकि हम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं भारत के उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी के बारे में कुछ बातें संक्षेप में बताऊंगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति होते हैं। वह सदन का एकमात्र अध्यक्ष होता है जो सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन वह राज्यसभा का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होता है तो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संचालन या निर्वहन करता है, जब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता हैं। उसे देश के अन्य सभी वकीलों और अधिवक्ताओं पर प्रधानता प्राप्त रहती है। भारत के महान्यायवादी भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं पर वह Vote नहीं कर सकते हैं।

**राष्ट्रपति का पद क्यों है?**

यद्यपि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है लेकिन हमारे देश के प्रमुख के रूप में हमारे यहाँ कोई रानी या राजा नहीं होता है। 1857 में भारत में केंद्रीय स्तर पर मुगल राजशाही समाप्त हो गई था। स्वतंत्रता के बाद रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं और खुद को भारतीय संघ में विलय कर लिया, इसलिए, भारत में अब कोई राजा या रानी नहीं होता है। हमारी प्रस्तावना भारत को गणतंत्र के रूप में पेश करती है जिसका अर्थ है कि हमारे देश का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा जो देश का निर्वाचित प्रमुख होगा। तदनुसार, भारतीय संविधान राष्ट्रपति का प्रावधान करता है जो हर पांच साल में चुना जाता है और जो हमारे देश का प्रमुख होता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इसलिए हमें इस भेद को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार का मुखिया प्रधान मंत्री होता है लेकिन राष्ट्र का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है।

**भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?**

संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। 'निर्वाचित' शब्द महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसद और राज्य विधानसभा दोनों के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के सभी विवादों पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा।

**राष्ट्रपति बनने के लिए कौन पात्र है?**

अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए, उन्हें बताता है।

i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए;

ii) उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो

iii) उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

iv) उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन जो संघ या किसी राज्य की सरकार के नियंत्रण में हो के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए।

इसलिए भारत के राष्ट्रपति किसी भी 'लाभ का पद' धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस अनुच्छेद के प्रयोजनों में कोई व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है या जो भारत का उपराष्ट्रपति है या जो राज्यपाल या केंद्र में मंत्री है या राज्य में मंत्री है को राष्ट्रपति के पद के योग्य नहीं समझा जाएगा। इसलिए, अगर मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो मैं सरकार का कर्मचारी नहीं रह सकता। आपको अपना 'लाभ का पद' छोड़ना होगा।

**राष्ट्रपति अपना पद संभालने से पहले क्या शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं?**

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। आमतौर पर हमारे संविधान में शपथ एक अलग अनुसूची- तीसरी अनुसूची में दी गई है। लेकिन संविधान मूल में राष्ट्रपति के लिए शपथ का उल्लेख करता है। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, को अपना पद संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित रूप में लेंगे:

'मैं (अमुक व्यक्ति) ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ, या मैं श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल अथवा भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा।

**राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है?**

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। जब किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है- संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए, तो भारत के राष्ट्रपति पर केवल एक ही आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है कि उसने भारत के संविधान का उल्लंघन/अतिक्रमण किया है, आरोप संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। इस तरह के आरोप को तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के आरोप को पेश करने का प्रस्ताव उस संकल्प में शामिल न हो जिसे कम से कम चौदह दिनों की लिखित सूचना के बाद सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, तो सबसे पहले, आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले 1/4 संसद के सदस्यों की आवश्यकता होगी। और फिर उस संकल्प को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। मैं आपको एक मिनट में समझाऊंगा कि हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के बहुमत क्या हैं।

भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन /अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है; आपके द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से पहले चौदह दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और फिर यह संकल्प सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जब संसद के किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया है, तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा तथा राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि जांच के परिणामस्वरूप, सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाता है जिस सदन के द्वारा आरोप की जांच की गई थी या जांच करवाई गई थी, यह घोषित करते हुए कि राष्ट्रपति के खिलाफ लगाये गये आरोप साबित हुए हैं, इस तरह के संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की तारीख से होगा जिस तारीख को ऐसा संकल्प पारित किया जाता है।

अब याद रखें कि इस संविधान में किसी अन्य प्रावधान के लिए सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के लिए - आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता है। और, इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने संविधान द्वारा आवश्यक विभिन्न प्रकार के बहुमत को समझें। साधारण बहुमत जो अधिकांश कानूनों को पारित करने के लिए आवश्यक है, जो अविश्वास प्रस्ताव या प्रधान मंत्री के विश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए आवश्यक है, वह है केवल 50% +1 की आवश्यकता है। उपस्थित और मतदान करने वालों में से 50%+1. मान लीजिए कि सदन की संख्या 100 है। 80 लोग मौजूद हैं तो साधारण बहुमत का मतलब होगा 41 न कि 51। क्योंकि वह सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत है।

पूर्ण बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का 50% +1. यदि आपके पास 100 सदस्य हैं तो पूर्ण बहुमत का अर्थ होगा 51. विशेष बहुमत - विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का 50% + 1 तथा मौजूद और मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत। यदि आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं, तो आपको सदन के बहुमत तथा मौजूद और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की बात आती है तो मौजूद और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत 50% + 1 पर्याप्त नहीं है। सदन की कुल सदस्यता का 50%+1 पूर्ण बहुमत पर्याप्त नहीं है। मौजूद और मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत पर्याप्त नहीं है। आपको जो चाहिए वह सदन की कुल सदस्यता का 2/3 है और इसलिए यह अनूठा प्रावधान है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को हटाना बहुत बड़ा कदम है। और इसलिए, हम राष्ट्रपति को तभी हटा सकते हैं जब महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित हो।

**प्रधानमंत्री के बारे में संविधान क्या कहता है?**

हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्रधान मंत्री सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद हैं। वह न केवल सरकार बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करता है। प्रधान मंत्री ही है जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधान मंत्री द्वारा क्या सलाह दी गई थी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।

**प्रधानमंत्री के पास कितने मंत्री हो सकते हैं?**

91वें संविधान संशोधन के बाद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो, लोकसभा की संख्या जो भी हो- उसका 15% वह संख्या है जिसकी मंत्रिपरिषद होगी।

**प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है?**

बहुत ही रोचक प्रश्न है, हालाँकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्‍तृत संविधान है और यद्यपि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है, लेकिन हमारा संविधान हमें प्रधान मंत्री की नियुक्ति के बारे में कोई विवरण नहीं देता। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस मुद्दे पर संविधान खामोश/मौन है। यह भारतीय संविधान की उच्च कोटि की चुप्पी है। प्रधान मंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं और फिर अनुच्छेद 75 (3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

अब लोकसभा जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, महत्वपूर्ण हो जाती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है न कि राज्यसभा के प्रति। राष्ट्रपति किसी को भी प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है चाहे वह संसद का सदस्य हो या वह संसद का सदस्य न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रत्येक प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए। आदर्श रूप से प्रधानमंत्री को लोकसभा से होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मन मोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त की गईं तो वे राज्यसभा की सदस्य थीं।

**राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री के रूप में कैसे नियुक्त करते हैं?**

लोकसभा चुनावों के बाद संवैधानिक परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को खुद को संतुष्ट करना होता है कि जिस व्यक्ति को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, उसे सदन का विश्वास प्राप्त है। कौनसा सदन? लोकसभा। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत है, तो राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भ्रम है, अगर त्रिशंकु संसद है, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान हो जाता है क्योंकि प्रधान मंत्री की नियुक्ति में अकेले उसके पास विवेकाधिकार होता है। वह एकल बहुमत वाली पार्टी के नेता या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता या चुनाव के बाद के गठबंधन के नेता को बुला सकता है। उसे यह देखना है कि वह व्यक्ति कौनसा है जो लोकसभा में विश्वास मत जीत लेगा और ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए राष्‍ट्रपति आमंत्रित करेगा।

**क्या प्रधान मंत्री सिर्फ बराबर के मंत्रियों में पहले हैं?**

ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट स्थिति यही रही है। यह कि प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों की तुलना में बराबर लेकिन उनसे पहले हैं। लेकिन आज यह कहना कि प्रधान मंत्री केवल बराबर वालों में प्रथम हैं, वास्तव में अपने मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री के वास्तविक संबंधों को नहीं दर्शाता है। वास्तव में, प्रधानमंत्री के बराबर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के साथ ही तैरती है या डूबती है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, तो इसका मतलब पूरा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा है। जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त है तो वह अपनी इच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। वह मंत्री बना और हटा सकता है। वह अपने मंत्रिपरिषद से किसी को भी हटा सकता है। प्रधानमंत्री के कमजोर होने पर मंत्री अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं और गठबंधन सरकार में अधिक स्वायत्तता ले सकते हैं। आज कई बार संसदीय चुनाव राष्ट्रपति प्रणाली में बदल जाते हैं और लोग पार्टी को नहीं बल्कि उस नेता को वोट देते हैं जिसे वे अपने प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।

क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं?

हाँ। 42वें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। 1976 में आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी 42वां संशोधन लायी जिसमें यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अपने कार्यों को पूरा करना होगा। इसलिए, राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होगा, उन्हें केवल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर चलना होगा। 1978 में, 44 वां संशोधन पारित किया गया था जो यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह को आम तौर पर मानेंगे अन्यथा पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज देंगे और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन की सख्ती को थोड़ा कम कर दिया। अब भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं यदि पुनर्विचार के बाद वही सलाह दी जाती है तो भारत के राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। बहुत कम ही राष्ट्रपति पुन: विचार की मांग करते हैं लेकिन उल्लेखनीय अपवाद रहे हैं। 1987 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा था। इसी तरह, एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में लाभ का पद विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए दिया था, जब वही बिल उन्हें दोबारा भेजा गया, तो उनके पास इस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 1997 और 1998 में दो बार उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था।

**क्या भारतीय राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र का मुखिया होता है?**

दो तरह की विचारधारा हैं, एक कहती है कि राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह केवल नाममात्र प्रमुख होता है जो केवल शासन करता है लेकिन शासन चलाता नहीं है। पंडित नेहरू और अन्य सभी प्रधान मंत्री स्वाभाविक रूप से इस विचारधारा के समर्थक हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भरपूर समर्थन मिला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि हम एक संसदीय लोकतंत्र हैं और इसलिए वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं हो सकती है, यह प्रधान मंत्री के पास होनी चाहिए। दूसरी विचारधारा का मानना है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल नाममात्र का मुखिया नहीं है, वह मंत्रिमंडल को नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्‍यक्ष और के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, इस विचारधारा के मुख्य प्रस्तावक हैं। अब इस विचारधारा ने संविधान के कुछ अनुच्छेदों का हवाला दिया जिससे यह धारणा बनी कि कुछ स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। उनका एक तर्क यह है कि जब प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का नेता होता है जो संसद के सदनों में से एक है, तो राष्ट्रपति के पास व्यापक निर्वाचक मंडल है क्योंकि उनके चुनाव में जैसा कि हमने कुछ मिनट पहले चर्चा की थी संसद के दोनों सदन और राज्य की विधान सभाएं भाग लेती हैं। इसलिए उनका प्रतिनिधि चरित्र प्रधानमंत्री से बड़ा है। फिर अनुच्छेद 53(1) का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उनके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। लेकिन इस खंड में अंतिम अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, यह कहता है 'संविधान के अनुसार'। उन्होंने जो तर्क बनाने की कोशिश की वह इस प्रकार है कि अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने आप या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है संविधान के अनुसार कहे गए अंतिम कुछ शब्दों को देखें। और संविधान के अनुसार आम तौर पर उसे उस सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा जो वह केवल एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है।

फिर उन्होंने उस बात का भी उल्लेख किया जो मैंने आपको पहले अनुच्छेद 60 में बताया था जिसके तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तथा संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा और बचाव का वादा करते हैं तथा वे खुद को भारत के लोगों की सेवा और भलाई या कल्‍याण के लिए समर्पित करेंगे। तर्क इस प्रकार है- यदि भारत के राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं है, तो वे कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं, वे कैसे संविधान का बचाव कर सकते हैं, वह कैसे संविधान की सुरक्षा कर सकते हैं। वे कैसे भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित कर सकते है? फिर यह भी एक तर्क है कि अनुच्छेद 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन/अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद को समाप्‍त कर दिया जिस निर्णय में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था: 'हम कानून की घोषणा करते हैं' - कृपया इस अभिव्यक्ति को देखें 'हम कानून की घोषणा करते हैं' क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पूरे भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर कह रहे हैं- "हम अपने संविधान की इस शाखा के कानून की घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, सभी कार्यकारी और विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अन्य शक्तियों के संरक्षक इन प्रावधानों के आधार पर अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कुछ प्रसिद्ध असाधारण परिस्थतियों को छोड़कर केवल तभी करेंगे जब मंत्रीमंडल की सलाह उन्‍हें मिल जाएगी।

मान लीजिए कि कोई असाधारण स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री सदन में बहुमत खो देते हैं और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि हमेशा ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी सलाह को स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन वह अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं हैं, खासकर यदि लोकसभा चुनाव कुछ साल दूर हैं। तो अब शमशेर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपने कार्यों का निर्वहन करना है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदनों के सत्र के अलावा किसी भी समय, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके लिए उन्हें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वे ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं जैसे कि आवश्यक परिस्थितियाँ उन्हें दिखाई देती हैं। यह कार्यकारी कानून है, आम तौर पर संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं। संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, इसलिए संविधान ने राष्ट्रपति को उस तत्काल आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित कोई अध्यादेश संसद के अधिनियम की तरह शक्तिशाली और प्रभावी होगा, लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद का सत्र शुरू होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगा। इसलिए, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि अध्यादेश छह सप्ताह (डेढ़ महीने) तक लागू रहेगा, उस अवधि के भीतर संसद को उस अध्यादेश को मंजूरी देनी होगी। और अगर संसद अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती है, तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।

**आज हमने क्या सीखा?**

भारत में संसदीय लोकतंत्र है, तदनुसार हमारा राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया है। उसे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। ब्रिटिश रानी की तरह भारतीय राष्ट्रपति शासन करता है लेकिन शासन चलाता नहीं है।

आपातकालीन स्थितियों में, जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

अगले व्याख्यान में हम भारतीय न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।